न्यायालय सहायक कलक्टर,भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः– अक्षय गोदारा, आई0ए0एस0 (प्रशिक्षु)

राजस्व वाद संख्याः– 137/2015

1. सुरेन्द्र
2. वीरेन्द्र
3. मदन लाल
4. सुभाष

पिसरान बुद्धा जाति जाट निवासी खैमरा तहसील व जिला भरतपुर।

5. अमर सिंह
6. भाव सिंह
7. जसवन्त सिंह

पिसरान हरीसिंह जाति जाट निवासी खैमरा तहसील व जिला भरतपुर।

8. महेश पुत्र जगदीश
9. ओमवती बेवा जगदीश

जाति जाट निवासी खैमरा तहसील व जिला भरतपुर।

..................वादीगण

बनाम

1. बद्रीप्रसाद पुत्र शोभाराम जाति जाट निवासी खैमरा तहसील व जिला भरतपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राजकीय अभिभाषक भरतपुर।

..................प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88–89 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय दिनांकः– 28–03–2019

वादीगण ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर दावा अन्तर्गत धारा 88–89 आर.टी.ए. विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया है कि आराजी खसरा नंबर 1140 रकबा 0.13 है0 वाके ग्राम खैमरा तहसील भरतपुर में स्थित है जो कि वादीगण सं0 1 लगायत 9 की पैतृक आराजी है। वादीगण के पिता की मृत्यु के पश्चात ग्राम खैमरा की समस्त आराजी वादीगण के नाम नामान्तरकरण सं0 809 से वादीगण के नाम आ चुकी है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रतिवादी ने एक वाद न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर के यहां प्रकरण सं0 142/2007 धारा 188, 189, 15, 53 आर.टी. एक्ट उनवानी मुकेश कुमार बनाम छिद्दन विभाजन हेतु प्रस्तुत किया। जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 27.07.2011 को दावा वादीगण के हक मे डिक्री किया गया था, जिसकी पालना बाबत नामान्तरकरण सं0 935 खोला गया था, लेकिन नामान्तरकरण खोलते समय हलका पटवारी द्वारा सहवन से आराजी खसरा नं0 1140/0.13 है0 प्रतिवादी सं0 1 के खाते में इन्द्राज कर दिये गये है जो कि वादीगण की खातेदारी की आराजी है जिसके खिलाफ वादी डिक्री करा पाने का अधिकारी है।

उक्त आराजी पर वर्तमान में भी वादीगण का कब्जा काश्त है और वादीगण की फसल खडी हुई है लेकिन दिनांक 30.11.2015 को प्रतिवादी सं0 1 ने ऐलानियां धमकी दी अब तो तुम अपनी फसल काट लेना लेकिन आगे से उक्त आराजी पर हम काश्त करेंगे। इस प्रकार दिनांक 30.11.2015 को प्रतिवादीगण द्वारा धमकी दिए जाने से वादीगण को हक दायरी दावा हासिल हुआ है।

इस प्रकार वादीगण ने दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम खेमरा तहसील भरतपुर स्थित आराजी खसरा नंबर 1140/0.13 में प्रतिवादी सं0 1 बद्रीप्रसाद का नाम खातेदारी से कलमजन कर वादीगण को वहिस्सा बराबर–बराबर का खातेदार घोषित किया जावे और प्रतिवादीगण को स्थाई निषधाज्ञा से पाबंद किया जावे। वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में नकल दाखिला खारिज 935 एवं नकल निर्णय/डिक्री दिनांक 27.07.2011 न्यायालय सहा0 कलक्टर भरतपुर उनवानी मुकेश कुमार बनाम छिद्दन पेश की है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये सम्मन की गयी। प्रतिवादी सं0 1 ने दिनांक 11.04.2016 को उपस्थित होकर जबाव इकबाल पेश किया। प्रतिवादी सं0 2 का जबाव न आने पर दिनांक 07.02.2018 को इनका जबाव बंद

किया जाकर पत्रावली साक्ष्य में नियत की गई। साक्ष्य वादी में स्वयं गवाह सुरेन्द्र सिंह का शपथ पत्र पेश हुआ, अन्य कोई साक्ष्य पेश न करने पर दिनांक 21.12.2018 को साक्ष्य वादी बंद की जाकर पत्रावली बहस में नियत की गई।

पत्रावली पर अभिभाषक वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वादीगण के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस वादपत्र स्वीकार किया जाकर खसरा नंबर 1140/0.13 हैक्टेयर पर वादीगण को खातेदार घोषित करने का निवेदन किया है और प्रतिवादी सं0 1 का नाम उक्त आराजी से कलमजन करने का अनुरोध करते हुए अपनी बहस पूर्ण की ।

हमने विद्वान अभिभाषक वादीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। वादपत्र में वादीगण का मुख्य आधार यह रहा है कि दावा संख्या 142/2007 उनवानी मुकेश कुमार बनाम छिद्दन दिनांक 27.07.2011 को सहायक कलक्टर भरतपुर द्वारा डिक्री किया गया है जिसकी पालना में नामान्तरकरण सं0 935 खोला गया। पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण खोलते समय खसरा नं0 1140 को सहबन से प्रतिवादी सं0 1 की खातेदारी में दर्ज कर दिया है। जिसके इन्द्राज कलमजन किये जाकर वादीगण को वहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे।

इस क्रम में पत्रावली का अवलोकन करने पर यह तथ्य सामने आते हैं कि वादीगण द्वारा नामान्तरकरण सं0 935 व निर्णय/डिक्री दिनांक 27.07.2011 की सत्य प्रतिलिपियां न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की हैं। लेकिन कुरा रिपोर्ट की सत्यप्रतिलिपि वादीगण द्वारा क्यों पेश नहीं की गई जो संदेहास्पद है। जबकि निर्णय/डिक्री दिनांक 27.07.2011 में कुरा रिपोर्ट को जुज किया गया था। जिसका अंकन स्पष्ट रूप से निर्णय/डिक्री में दर्ज है। यहां यह तथ्य भी स्पष्ट हो जाता है कि जब वादीगण द्वारा उक्त निर्णय/डिक्री की नकल निकलवाई तब कुरा रिपोर्ट की सत्यप्रतिलिपि भी वादीगण को अवश्य ही प्राप्त हुई होगी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लेकिन वादीगण द्वारा जानबूझकर कुरा रिपोर्ट की फोटोप्रति जो अपूर्ण है को न्यायालय के समक्ष पेश किया है। जो विश्वसनीय नहीं है। इस प्रकार वादीगण अपने वादपत्र को क्लीन हैंड से न्यायालय में लेकर नहीं आये हैं।

वादीगण द्वारा वादपत्र में यह तथ्य भी अंकित किया है कि निर्णय/डिक्री दिनांक 27.07.2011 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 935 स्वीकृत किया गया है। जिसमें पटवारी हल्का द्वारा सहबन से खसरा नंबर 1140/0.13 है0 का प्रतिवादी सं0 1 के नाम गलत इंद्राज किया जाना जाहिर किया है। यहां यह तथ्य विचारणीय है कि न्यायालय के निर्णय/डिक्री दिनांक 27.07.2011 को वादीगण द्वारा स्वीकार किया गया है। लेकिन अपूर्ण व अप्रमाणित प्रति की फोटोप्रति से यह स्पष्ट नहीं होता कि खसरा नंबर 1140/0.13 है0 के इन्द्राज नामान्तकरण में पटवारी हल्का की गलती से हुए हैं अथवा नहीं। और जब एक बार खसरा नंबर 1140 बावत न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री पारित कर दिये गए हैं तो पुनः समकक्ष न्यायालय द्वारा दोबारा से उक्त खसरा नंबर बावत डिक्री पारित नहीं की जा सकती है। यदि नामान्तरकरण वादीगण के अनुसार गलत खोला गया है और निर्णय व डिक्री दिनांक 27.07.2011 के अनुसार पालना नहीं की गई है तो उसके लिए वादीगण को यह अधिकार प्राप्त है कि वह संबंधित नामान्तरकरण के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने को स्वतंत्र है। न्यायालय द्वारा वादपत्र के आधार पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन निर्णय/डिक्री में नहीं किया जा सकता। जहां तक वादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.बी.जे. 1994—135 का प्रश्न है तो यह नजीर इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण का वादपत्र खारिज किये जाने योग्य है।

<u>अतः आज्ञा है कि —</u>

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दावा वादीगण खारिज किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 28.03.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
आई.ए.एस.(प्रशिक्षु)
सहायक कलक्टर भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official